न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 294/2019

प्रार्थी :–

सुखाराम पुत्र श्री सगताराम जाति सुथार निवासी ग्राम सुआप तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सगताराम पुत्र श्री मेहराराम
2. जसाराम पुत्र श्री सगताराम
3. शिवलाल पुत्र श्री सगताराम
4. रामूराम पुत्र श्री सगताराम
5. नरूराम पुत्र श्री सगताराम
6. खेताराम पुत्र श्री मेहराराम जाति सुथार निवासी ग्राम सुआप तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमत

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी

अप्रार्थीगण की ओर से :– दिनेश कुमार मदेरणा

दिनांक 31/10/19

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि तहसील बापिणी के ग्राम सुआप के सरहद में स्थित खसरा सख्या 29 रकबा 66 बीघा 18 बिश्वा ,खसरा सख्या 32 रकबा 18 बीघा 09 बिश्वा भूमि व ग्राम फतेहनगर के खसरा सख्या 251 रकबा 115 बीघा 08 बिश्वा भूमि व ग्राम कृष्णनगर के खसरा सख्या 17 ... रकबा ... बीघा 14 बिश्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैत्रक भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी ... संयुक्त कब्जा काश्त की बापौती की भूमि है जिस पर प्रार्थी का 1/12 बाई बर्थ हक हिस्सा हैं वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण सख्या 01 के नाम से दर्ज है जो प्रार्थी के पिता है प्रार्थी द्वारा अपने आप को मेहराराम का वंशज बताया तथा मेहराराम की वंशावली बताकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियाँ

Scanned by CamScanner

पेश की । तथा बताया कि मेहराराम की खातेदारी भूमि थी मेहराराम के फौत होने पर उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थीगण सख्या 01 सगताराम व अप्रार्थीगण सख्या 06 खेताराम के नाम से दर्ज की गई जो आज दिन भी अप्रार्थीगण सख्या 01 व 06 के नाम से दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीगण सख्या 01 का 1/2 हिस्सा है अप्रार्थीगण सख्या 01 के हिस्से में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है एवम सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है उक्त भूमि पैत्रक भूमि होने से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में बाई बर्थ 1/12 हिस्सा है उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि अप्रार्थी सख्या 01 के नाम से दर्ज है अभी हाल ही में दिनॉक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण सख्या 01 ने प्रार्थी को धमकी दी कि सम्पूर्ण भूमि से बेदखल करेगा व बेचान फरोक्त ही करेगा। जबकि उक्त भूमि को बेचान करने का कोई हक अधिकारी नही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा ईस्तदुआ चाही कि उक्त भूमि में ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को इस कदर पाबन्द किया जावे कि न तो उक्त भूमि का बेचान ही करे तथा न ही प्रार्थी को बेदखल ही करे।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । तथा अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गयां जो सामिल मिसल किया अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में खसरा सख्या 32 व 251 ग्राम सुआप को स्वअर्जित भूमि होना बताया एव प्रतिवादीगण सख्या 01 के 06 पुत्रियॉ कमशः भवरी देवी मोहनी देवी, दुर्गा देवी, बाबु देवी, सीमा देवी, सन्तु देवी, होना बताया पत्रावली आज बहस हेतु मुकर्र रखी गई । बहस उभय पक्षकारान सुनी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रक भूमि के रूप में होना बताकर स्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी करने की ईस्तदुआ चाही तथा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू होना बताया व अन्त में प्रार्थना की कि अस्थाई निषेधाज्ञा जो पूर्व में जारी की गई थी उसे ताफैसला दावा कन्फर्म किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया जबाब प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात को बताते हुए बताया कि खसरा सख्या 251 व 32 चुनाराम पुत्र अजीताराम के नाम से थी चुनाराम के देहान्त के पश्चात प्रेमी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई प्रेमी ने उक्त भूमि का जरिये वसियत खेताराम को दी तत्पश्चात उक्त भूमि खेताराम ने प्रतिवादीगण सख्या 01 सगताराम को जरिये बक्सीस खसरा सख्या 251 प्राप्त हुई । इस प्रकार से सगताराम के स्वअर्जित भूमि है एवम सगत[illegible] के पुत्र प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्या 02 से 05 है एवम 06 पुत्रीयॉ है। इसलिए प्रार्थी को खसरा सख्या 29 व 1742/2 [illegible] 1/2 [illegible] में 1/[illegible] हिस्सा यानि कुल रकबे में 1/24 हिस्सा तक ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है इस कथन को अधिवक्ता प्रार्थी ने [illegible] उपस्थति में स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया जिसमे पाया कि खसरा सख्या 32 व 251 ग्राम सुआप की भूमि स्वअर्जित भूमि है एव खसरा सख्या 29 व 1742/2 की भूमि में प्रार्थी सुखाराम का 1/24 हिस्सा खातेदारी मे प्रथमदृष्टया बनता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त खसरा सख्या 1742/2 व खसरा सख्या 29 ग्राम सुआप की भूमि में प्रार्थी के 1/24 हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा खसरा सख्या 251 व 32 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार जाकर तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम सुआप के खसरा सख्या 251 रकबा 115 बीघा 08 बिश्वा एवम खसरा सख्या 32 रकबा 18 बीघा 09 बिश्वा भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है, तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के खसरा सख्या 1742/2 रकबा 64 बीघा 14 बिश्वा, खसरा सख्या 29 रकबा 66 बीघा 18 बिश्वा भूमि के प्रार्थी के 1/24 वे हिस्से तक भूमि का बेचान अप्रार्थीगण सख्या 01 को नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है।

रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 31/10/19 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner